IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.3604 of 2025

Michael Francis Son of Louis Francis Resident of Reena Billa, Near B-110, Buddha Colony, P.S.-Buddha Colony, District-Patna.

... ... Petitioner

Versus

1. The Bihar School Examination Board through its Secretary, Sinha Library Road, Patna-800017.
2. The Chairman, Bihar School Examination Board, Sinha Library Road, Patna-800017.
3. The Secretary, Bihar School Examination Board, Sinha Library Road, Patna-800017.
4. Chief Vigilance Officer-Cum-Inquiry Officer, Bihar School Examination Board, Sinha Library Road, Patna-800017.
5. The Deputy Secretary (Establishment), Bihar School Examination Board, Sinha Library Road, Patna-800017.
6. The Joint Secretary Establishment, Bihar School Examination Board, Sinha Library Road, Patna-800017.

... ... Respondents

---

with

Civil Writ Jurisdiction Case No. 4007 of 2025

Sujeet Kumar Son of Late Lalbabu Ray Resident of Gandhi Colony, Ashiana Nagar, P.S.-Rajeev Nagar, District-Patna, Bihar-800025.

... ... Petitioner

Versus

1. The Bihar School Examination Board through its Secretary, Sinha Library Road, Patna-800017.
2. The Chairman, Bihar School Examination Board Sinha Library Road, Patna-800017.
3. The Secretary, Bihar School Examination Board Sinha Library Road, Patna-800017.
4. Chief Vigilance Officer-Cum-Inquiry Officer, Bihar School Examination Board Sinha Library Road, Patna-800017.
5. The Deputy Secretary (Establishment), Bihar School Examination Board Sinha Library Road, Patna-800017.
6. The Joint Secretary Establishment, Bihar School Examination Board Sinha Library Road, Patna-800017.

... ... Respondents

WEB COPY

==

Appearance :
(In Civil Writ Jurisdiction Case No. 3604 of 2025)

For the Petitioner	:	Mr. P.N. Shahi, Senior Advocate Mr. Namrata Dubey, Advocate Mr. Kumar Kaushik, Advocate Mr. Hemant Raj, Advocate Mr. Shubham Priyadarshi, Advocate
For the State	:	Mr. P.K.Shahi, A.G.
For the B.S.E.B.	:	Mr. Sunil Kumar Mandal, Advocate

(In Civil Writ Jurisdiction Case No. 4007 of 2025)

For the Petitioner	:	Mr. P.N. Shahi, Senior Advocate Mr. Namrata Dubey, Advocate Mr. Kumar Kaushik, Advocate Mr. Hemant Raj, Advocate Mr. Shubham Priyadarshi, Advocate
For the State	:	Mr. P.K.Shahi, A.G.
For the B.S.E.B.	:	Mr. Girijesh Kumar, Advocate

==

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE SANDEEP KUMAR

C.A.V. JUDGMENT

Date : 09-01-2026

Since the facts of these cases are same and similar, they have been heard together and are being disposed of by this common judgment and order.

2. In C.W.J.C. No.3604 of 2025, the petitioner (Michael Francis) has challenged the order contained in memo no.66 dated 16.01.2024 passed by the Secretary, Bihar School Examination Board, by which the petitioner- Michael Francis he has been visited with the punishment of dismissal from service with a further stipulation that nothing shall be payable to him for the period of suspension. In C.W.J.C. No.4007 of 2025, the petitioner - Sujeet Kumar, has challenged the order contained in memo no.67 dated 16.01.2024 passed by the Secretary, Bihar School Examination Board, by which he has been visited with

WEB COPY

the punishment of compulsory retirement from service with a further stipulation that nothing shall be payable to the petitioner except subsistence allowance for the period of suspension. The petitioners have also challenged the appellate orders dated 19.12.2024 and 08.01.2025 respectively, by which the appeal filed by the petitioners against the orders of punishment, have been rejected by the Appellate Authority. They have also prayed to direct the respondent authorities to make payment of consequential arrears of salary for the period during which they has been kept out of employment and also to make payment of full salary to the petitioners for the period of suspension after deducting the subsistence allowance already paid to them.

3. The facts of these cases are that both the petitioners were appointed on Class-IV posts in the Bihar School Examination Board and they were promoted to the post of Routine Clerk in the years 2008. Whereafter, both the petitioners have been further promoted to the post of Assistant in the year 2012. In the year 2018, a departmental proceeding was initiated against the petitioners primarily on the allegation that they were unauthorizedly absent from their duties and for their involvement/role in the criminal case bearing Kotwali P.S. Case No.452 of 2018 dated 19.07.2018. Against the petitioner-

WEB COPY

Micheal Francis, altogether seven charges have been framed, which primarily revolved around the allegation of unauthorized absence from the duty and for his involvement/role in the criminal case bearing Kotwali P.S. Case No.452 of 2018 dated 19.07.2018. Thereafter, a supplementary memo of charge was also submitted wherein one additional charge has been framed against the aforesaid petitioner that despite being suspended, he did not join his assigned headquarters for about five months.

4. So far as petitioner - Sujeet Kumar is concerned, altogether five charges have been framed against him, which also revolved around his unauthorized absence from the duties and also his involvement/role in the criminal case bearing Kotwali P.S. Case No.452 of 2018 dated 19.07.2018.

5. Thereafter, the Enquiry Officer issued memo dated 15.07.2019 upon the petitioners annexing the charges levelled against them and directed the petitioners to submit their reply/defence. The petitioners by filing representation/ applications requested to supply certain document, based on which, charges were levelled against them. Whereafter, the petitioners have submitted their written responses/replies. The Enquiry Officer after conducting the enquiry submitted the enquiry report to the respondent-Board finding the charges

WEB COPY

against the petitioner- Michael Francis to be true whereas, against the petitioner-Sujit Kumar it has been concluded that the involvement of the petitioner cannot be ruled out and he cannot be exonerated from the charges. Based on the enquiry report, second show-cause notices were issued to the petitioners, to which the petitioners have filed their respective response/reply. Upon considering the reply to the second show-cause, the disciplinary authority issued the impugned orders contained in memo nos.66 and 67 both dated 16.01.2024 dismissing the petitioner-Michael Francis from the service and compulsorily retiring the petitioner - Sujeet Kumar from the service.

6. For better appreciating of facts of both these cases, it will be relevant to quote the impugned orders of punishment. The impugned order passed in the case of petitioner - Michael Francis reads as under:-

पत्रांक–स्था0प्रे0–66/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

कार्यालय आदेश

श्री माईकल फ्रांसिस, सहायक (निलंबित) *के द्वारा दिनांक–19.07.2018 से बिना किसी सूचना/आवेदन के कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने के कारण ज्ञापांक–एल0पी0–5364, दिनांक–20.07.2018 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री फ्रांसिस का दिनांक – 20.07.2018 को एक आवेदन कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक–20.07.2018 से 25.07.2018 तक आकस्मिक अवकाश में रहने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे समिति कार्यालय के द्वारा अस्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, परन्तु श्री फ्रांसिस द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया गया, जिसके आरोप में समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–6089, दिनांक–27.07.2018 के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली–1964 के अध्याय–10 की कंडिका–48(i) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया।*

2. उल्लेखनीय है कि कोतवाली थाना कांड सं0–452/18, दिनांक–19.07.

WEB COPY

2018 में संलिप्त श्री फ्रांसिस के विरूद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु समिति के पत्रांक–स्था0प्रे0–6305, दिनांक 01.09.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, कोतवाली थाना, पटना को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में पुलिस अवर निरीक्षक कोतवाली थाना, पटना के पत्रांक–डी0आर0नं0–1942, दिनांक–19. 09.2019 के द्वारा श्री फ्रांसिस के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

3. उक्त के आलोक में श्री फ्रांसिस को निलंबित करने के उपरांत समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–6605, दिनांक–29.10.2018 के द्वारा श्री फ्रांसिस, सहायक के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' में गठित निम्नांकित आरोपों की जांच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित किया गयाः–

(i) आपके द्वारा दिनांक–19.07.2018 से बिना किसी सूचना/आवेदन के कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण ज्ञापांक–एल0पी0–5364, दिनांक–20.07.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग किया गया, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। आपका यह कृत्य कार्यालय के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

(ii) आपका दिनांक–20.07.2018 को एक आवेदन कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक–20.07.2018 से 25.07.2018 तक आकस्मिक अवकाश में रहने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे समिति कार्यालय में एल0पी0–5364, दिनांक–20.07.2018 के द्वारा अस्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण की मांग किया गया, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। आपका यह कृत्य कार्यालय के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

(iii) इस कांड में गिरफ्तार हुए अभियुक्त अमित कुमार, अमितेश कुमार, जटाशंकर मिश्र ने अपने बयान में बताया गया है कि बी0ई0टी0ई0टी0–2011 के परीक्षाफल में फेरबदल करने में आपका मुख्य भूमिका रही है। साथ ही आप बाहरी दलाल से संपर्क कर फेल अभ्यर्थियों को पास कराने का कार्य करते थे।

(iv) इस कांड में गिरफ्तार हुए दलाल विजय कुमार तिवारी उर्फ तिवारी द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि आपने अमित कुमार, अमितेश कुमार, जटाशंकर मिश्र तथा रंजीत मिश्रा के संपर्क में रहकर 16 अभ्यर्थियों के अभिलेख/कम्प्यूटर आंकडा में बदलाव कराये है।

(v) इस कांड में गिरफ्तार दलाल विजय कुमार तिवारी ने बताया है कि बी0ई0टी0ई0टी0–2011 के परीक्षाफल में आपके द्वारा कम्प्यूटर के आंकडा में अरविन्द कुमार, अमित कुमार, अमितेश कुमार से बदलाव करवाया गया तथा अभिलेख में जटाशंकर मिश्र, रंजीत मिश्रा से मिलकर बदलाव कराया गया। इस बदलाव में आपकी अहम भूमिका थी, क्योंकि उसी प्रकार का कागज एवं छपायी आपके द्वारा ही करवाई जाती थी।

(vi) इस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत दलाल विजय तिवारी उर्फ तिवारी के मोबाइल नं0 पर आपके मोबाईल नं0 से बातचीत होने का साक्ष्य पाया गया है।

(vii) आपका उपरोक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली–1976 के नियम–3(1) एवं 3(2) के अनुरूप नहीं है।

4. समिति के कार्यालय के पत्रांक–स्था0प्रे0–6089, दिनांक–27.07.2018 के द्वारा श्री फ्रांसिस को निलंबित करते हुए मुख्यालय श्री प्रवीण कुमार सिंह, उप सचिव कक्ष (मा0 प्र0) में निर्धारित किया गया, परन्तु उनके द्वारा ससमय अपने मुख्यालय में योगदान नहीं करने के आरोप में समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–108, दिनांक–16.01.2019 के द्वारा पूरक आरोप पत्र गठित

WEB COPY

कर निम्नांकित आरोपों की जॉच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :–

> *(i) समिति कार्यालय के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–6089, दिनांक–27.07.2018 द्वारा ही आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया तथा निलंबन अवधि में आपका मुख्यालय श्री प्रवीण कुमार सिंह, उप सचिव कक्ष (मा0 प्र0) निर्धारित किया गया, परन्तु आपके द्वारा अत्याधिक विलंब के साथ दिनांक–14.12.2018 को कार्यालय में योगदान हेतु आवेदन दिया गया। आपका यह कृत्य कार्यालय के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।*

5. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालय पदाधिकारी के पत्रांक–नि0से0–222, दिनांक–12.07.2023 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें जांच पदाधिकारी का मंतव्य है कि दिनांक–19.07.2018 को बिना छुट्टी के आरोपी कार्यालय से अनुपस्थित रहे तथा अपने योगदान करने की तिथि के पूर्व तक अपने छुट्टी के अभ्यावेदन को स्वीकृत कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया, जबकि बिहार सेवा संहिता के छुट्टी संबंधी नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि छुट्टी किसी कर्मी का अधिकार नहीं है और छुट्टी स्वीकृत कराकर ही किसी सरकारी सेवक को मुख्यालय छोडना चाहिए। अंकनीय है कि कोतवाली थाना कांड सं0–452/2018, दिनांक–19.07.2018 के मामले में समिति कार्यालय द्वारा बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष–2011 के (BETET–2011) परीक्षाफल पंजी एवं कम्प्यूटर डाटाबेस में फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए श्री अमितेश कुमार, श्री अरविन्द कुमार, श्री जटाशंकर मिश्र, श्री रंजीत मिश्रा एवं 16 अभ्यर्थियों तथा अन्य अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज कराया गया था। इस घोटाले के जांच हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक त्रि–सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति ने दिनांक–19.07.2018 को समर्पित अपने प्रतिवेदन में बताया कि ''शिकायत पत्र में अंकित 16 अभ्यर्थियों के संबंध में आरोप की जांच में पाया गया कि इससे संबंधित कम्प्यूटर सेल में संधारित डाटा में रिजल्ट प्रोसेसर से प्राप्त कराए गए मूल सी0डी0 के डाटा से परिवर्तित पाया गया है। साथ ही इस शिकायत पत्र में अंकित 16 अभ्यर्थियों में 10 अभ्यर्थियों के परीक्षाफल से संबंधित अंक नियोजन पंजी (डी0टी0आर0) का पन्ना बदलकर नया पन्ना तैयार कराकर जिल्दबंद किया हुआ पाया गया।''

समिति ने इस फर्जीवारा के लिए कम्प्यूटर शाखा एवं अभिलेखागार के अनेक कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की, जिसमें जांच के कम में प्राथमिकी अभियुक्तों ने आरोपी की संलिप्तता का भी बयान दिया कि यह पकडाये अभियुक्त अमित कुमार, अमितेश कुमार, जटाशंकर मिश्र इत्यादि ने अपने–अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताये है कि BETET–2011 परीक्षा के परिणाम में फेरबदल/बदलाव में माईकल फ्रांसिस, सहायक (जमुई परीक्षा) की मुख्य भूमिका है। साथ में ये भी बताये है कि माईकल फ्रांसिस, राजेश रंजन उर्फ राजा एवं रहमान, तिवारी नाम के व्यक्ति जो बिहार बोर्ड का दलाल था के संपर्क में थे तथा किस अभ्यर्थी का क्या चेंज करना है, तीनों द्वारा तय करके चेंज करते थे। पकडाये दलाल विजय कुमार तिवारी उर्फ तिवारी द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताये है कि माईकल फ्रांसिस ने अमित कुमार, अमितेश कुमार, जटाशंकर मिश्र एवं रंजीत मिश्रा के संपर्क में रहकर 16 अभ्यर्थियों के अभिलेख/कम्प्यूटर ऑकडा में बदलाव करवाये है। साथ ही दलाल विजय कुमार तिवारी ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में बताये है कि BETET–2011 परीक्षा से संबंधित रिजल्ट में माईल फ्रांसिस, कम्प्यूटर के ऑकडा में अरविन्द

WEB COPY

कुमार, अमित कुमार, अमितेश कुमार से बदलाव करवाया तथा अभिलेख में जटाशंकर मिश्र, रंजीत मिश्रा से मिलकर बदलाव करवाया। उक्त बदलाव में माईकल फ्रांसिस ने अहम भूमिका निभायी, चुंकि उसी प्रकार का कागज एवं छपायी माईकल फ्रांसिस ही करवाता था।

यह कि वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत दलाल विजय कुमार तिवारी उर्फ तिवारी के मोबाईल नम्बर पर माईकल फ्रांसिस के मोबाईल नम्बर से बातचीत होने का साक्ष्य पाया गया है। ज्ञातव्य हो कि अप्राथमिकी अभियुक्त विजय कुमार तिवारी दिनांक–29.08.2018 को थाना परिसर कोतवाली में अनुसंधानकर्ता द्वारा एक प्रश्नावली के तहत पूछताछ की गयी, जिसके प्रश्न 09 में यह पूछा गया कि बिहार बोर्ड के किन–किन कर्मियों के संपर्क में वो थे, तो उसने बताया कि अन्य के अतिरिक्त माईकल फ्रांसिस भी संपर्क में थे। आरोपी के बारे में प्रश्नावली के प्रश्न 10, 11, 13, 14, 15 एवं 17 के उत्तर में उसने अंक बदलाव करने संबंधी गतिविधि में आरोपी की भूमिका के संबंध में अनेक तथ्य उदधाटित करते हुए बताया कि अभिलेख के कागजात के समान कागजात का प्रबंधन और छपायी का काम आरोपी के द्वारा ही कराया जाता था। आगे प्रश्न 17 के उत्तर में उनके द्वारा बताया गया कि दंडारी थाना में कांड दर्ज होने पर जब ज्ञात हुआ कि कम्प्यूटर में बदलाव नहीं हुआ है, तब वो अमित कुमार, अमितेश कुमार एवं आरोपी से संपर्क कर पहले कम्प्यूटर के ऑकडा में बदलवा कराया। बिचौलिया ने यह भी बताया कि फर्जी कागजात छपायी करवाने की मुख्य जिम्मेवारी आरोपी की ही थी। अन्वेषण के क्रम में बिचौलिया तिवारी के कांड संख्या के अभियुक्तों से मोबाईल पर हुए बातचीत का ब्यौरा भी प्राप्त किया गया, जिसमें उनका मोबाईल नं0–xxxxxxx से 13 अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक कुल–12 बार बातचीत करने का साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। इस प्रकार श्री फ्रांसिस के विरूद्ध गठित सभी आरोप सं0–01, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 प्रमाणित पाये गये है। साथ ही श्री फ्रांसिस के विरूद्ध गठित पूरक आरोप को भी प्रमाणित किया गया है।

6. उक्त जांच प्रतिवेदन में श्री फ्रांसिस के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–873, दिनांक 18.07.2023 द्वारा श्री फ्रांसिस से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

7. श्री फ्रांसिस से दिनांक–02.08.2023 को प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहा गया है कि जांच अधिगम के द्वारा इनके विरूद्ध गठित आरोपों को मात्र कतिपय सह अभियुक्तों के द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये बयान के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जबकि स्थापित विधिक व्यवस्था यथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–25 के अनुसार पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति स्वीकार साक्ष्य नहीं है। जांच अधिगम में पुलिस के समक्ष आरोपों के संबंध में यह अभियुक्तों के बयान के अलावा उनकी संलिप्तता के संबंध में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है तथा मात्र पुलिस के समक्ष सह अभियुक्तों द्वारा दिया गया बयान के आधार पर इनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित ठहराया जाना विधि अनुकूल नहीं है। श्री फ्रांसिस द्वारा अपने जवाब में जॉच पदाधिकारी के समक्ष दिए गये बचाव बयान के अतिरिक्त कुछ नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

8. उपर्युक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि एक संगठित गिरोह द्वारा जालसाजी करके अभ्यर्थियों के अंको में हेराफेरी का कार्य किया गया, जिसमें इनका मुख्य भूमिका रहा है। इनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर कपटतापूर्वक समिति के अभिलेख के साथ अवैध रूप से छेडछाड करते हुए धोखाधडी से निजी स्वार्थ में समिति को गुमराह किया गया तथा BETET–2011 परीक्षा के परिणाम में कम्प्यूटर सेल में संधारित डाटा में तथा अंक नियोजन पंजी के

WEB COPY

साथ छेडछाड करने में संलिप्तता पाया गया। इनके द्वारा उक्त जालसाजी कृत्यों से समिति की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है, जो कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कतई स्वीकार योग्य नहीं है। उनका आचरण सरकारी कर्मियों के लिए बनायी गयी आचरण संहिता के सर्वथा प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में श्री फ्रांसिस को समिति की सेवा में बनाये रखना समिति के हित में नहीं है।

*9. अतः उपर्युक्त वर्णित सभी तथ्यों एवं कागजातों की समीक्षोपरांत सम्यक् विचारोपरांत श्री माईकल फ्रांसिस, सहायक (निलंबित) के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत कर आदेशानुसार, श्री फ्रांसिस को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली–1964 के अध्याय–10 की कंडिका–50 की उप कंडिका–(viii) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से समिति की **सेवा से बर्खास्त** (Dismissal from service) का दंड अधिरोपित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री फ्रांसिस को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।*

7. The impugned order passed in the case of petitioner - Sujeet Kumar reads as under -

पत्रांक–स्था0प्रे0–67/2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

कार्यालय आदेश

__श्री सुजीत कुमार–1, सहायक (निलंबित)__ के द्वारा दिनांक–20.07.2018 से बिना किसी सूचना/आवेदन के कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने के कारण ज्ञापांक–एल0पी0–5364, दिनांक–20.07.2018 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार का दिनांक–20.07.2018 को एक आवेदन कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक–20.07.2018 से 24.07.2018 तक आकस्मिक अवकाश में रहने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे समिति कार्यालय के द्वारा अस्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, परन्तु श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया गया, जिसके आरोप में समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–6090, दिनांक–27.07.2018 के द्वारा श्री कुमार–1 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली–1964 के अध्याय–10 की कंडिका–48(i) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि कोतवाली थाना कांड सं0–452/18, दिनांक–19.07.2018 में श्री कुमार के विरूद्ध गिरफ्तारी की सूचना साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने हेतु समिति के पत्रांक–स्था0प्रे0–6292, दिनांक 31.08.2018 के द्वारा थाना प्रभारी, कोतवाली थाना, पटना को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके आलोक में पुलिस अवर निरीक्षक कोतवाली थाना, पटना के पत्रांक–डी0आर0नं0–1941, दिनांक–19.09.2018 के द्वारा श्री कुमार को गिरफ्तार कर दिनांक 30.07.2018 से न्यायिक हिरासत में लिये जाने तथा आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर में काराधीन में रहने की सूचना प्राप्त हुई।

3. उक्त के आलोक में श्री कुमार–1, सहायक को निलंबित करने के उपरांत समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–6610, दिनांक–29.10.2018 के द्वारा श्री कुमार–1, सहायक के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' में गठित निम्नांकित आरोपों की जांच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया:–

(i) आपके द्वारा दिनांक–20.07.2018 से बिना किसी सूचना/आवेदन के कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण ज्ञापांक–एल0पी0–5364, दिनांक–20.07.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण

WEB COPY

की मांग किया गया, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। आपका यह कृत्य कार्यालय के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

(ii) आपका दिनांक–20.07.2018 को एक आवेदन कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें दिनांक–20.07.2018 से 24.07.2018 तक आकस्मिक अवकाश में रहने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे समिति कार्यालय में एल0पी0–5364, दिनांक–20.07.2018 के द्वारा अस्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण की मांग किया गया, परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया। आपका यह कृत्य कार्यालय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

(iii) आपके द्वारा अभियुक्त अमित कुमार, कम्प्यूटर सेल के प्रभारी से एक वर्ष पहले संपर्क कर 10 फेल अभ्यर्थियों को पास करवाने के लिए 30 हजार रूपया के दर से 3 लाख रूपया दिया गया। आपके द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया गया है कि बी0ई0टी0ई0टी0–2011 के परीक्षाफल में गड़बड़ी कराने के लिए 10 फेल अभ्यार्थियों को पास कराने के लिए रईस अहमद से 4 लाख 50 हजार रूपया लिया गया, जिसमें से 3 लाख रूपया कम्प्यूटर डाटा में सुधार करने हेतु एवं प्रमाण पत्र बनाने हेतु अमित कुमार को दिया गया तथा शेष 1 लाख पचास हजार रूपया अपने पास रख लिया गया।

(iv) पुलिस अवर निरीक्षक कोतवाली थाना, पटना के समक्ष आपके द्वारा बी0ई0टी0ई0टी0–2011 के परीक्षाफल में फेल छात्रों को पास कराने के एवज में 10 अभ्यार्थियों से ली गयी राशि से संबंधित अभ्यार्थियों का कोड–31 बताया गया। साथ ही आपको न्यायिक हिरासत में रखा गया।

(v) आपका उपरोक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली–1976 के नियम–3(1) एवं 3(2) के अनुरूप नहीं है।

4. श्री कुमार–1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद सं0–Criminal Miscellaneous No-61689/18 में दिनांक–29.10.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक–31.10.2018 को न्यायिक हिरासत से रिहा होकर श्री कुमार–1 द्वारा दिनांक–01.11.2018 को समिति कार्यालय में योगदान हेतु आवेदन समर्पित किया गया तथा समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–6808, दिनांक–11.12.2018 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(3) (i) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत समिति कार्यालय में श्री कुमार–1 द्वारा दिये गये योगदान की तिथि दिनांक–01.11.2018 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया।

5. श्री कुमार–1 के विरूद्ध कोतवाली थाना, पटना कांड सं0–452/18, दिनांक–19.07.2018 अन्वेषण में रहने तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के आरोप में समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–6809, दिनांक–11.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(3) (ii) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत श्री कुमार–1 को समिति कार्यालय में योगदान की तिथि दिनांक–01.11.2018 के प्रभाव से पुनः निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–नि0से0–208, दिनांक–30.06.2023 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार–1 के विरूद्ध जांच पदाधिकारी का मंतव्य है कि प्रथम आरोप आरोपी द्वारा दिनांक–20.07.2018 को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने तथा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के संबंध में है। इस

WEB COPY

संबंध में इनका कहना है कि इन्होंने आकस्मिक अवकाश का आवेदन दे दिया था तथा आवेदन के अस्वीकृत होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ, जो असंतोषजनक है तथा नियमों के प्रतिकूल है। बिहार सेवा संहिता नियम–152 के आलोक में छुट्टी को अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सरकार के विभिन्न पत्रों द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है कि नियंत्री पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृत कराकर ही किसी कर्मी को मुख्यालय छोडना चाहिए। बिना छुट्टी स्वीकृत कराये मुख्यालय छोड देना और यह अपेक्षा करना कि अस्वीकृति उनके घर पर संसूचित किया जाय, बिल्कुल स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

आरोप सं0–03 एवं 04 पुलिस अवर निरीक्षक कोतवाली थाना के प्रतिवेदन के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें कांड सं0–452/18 में नामजद अभियुक्त अमित कुमार के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकडे गये अभियुक्त अमित कुमार, कम्प्यूटर सेल प्रभारी द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि एक वर्ष पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सहायक (समस्तीपुर परीक्षा शाखा) सुजीत कुमार ने 10 फेल अभ्यर्थियों को पास करवाने के लिए 30 हजार रूपये की दर से 3 लाख रूपया दिया था। आरोपी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि BETET–2011 परीक्षा के परिणाम में हुई धांधली/गडबडी में आरोपी के द्वारा 10 फेल अभ्यर्थियों को पास करवाने के लिए रईस अहमद से 4 लाख 50 हजार रूपया लिया, जिसमें से 3 लाख कम्प्यूटर डाटा में सुधार एवं प्रमाण पत्र बनाने हेतु अमित कुमार को दिया और 1 लाख 50 हजार रूपया अपने पास रख लिया, साथ ही अभ्यर्थियों का कोड–31 बताया।

इस संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण में आरोपी ने बताया है कि अमित कुमार से इनका कोई संबंध नहीं रहा है तथा रईस अहमद के नाम के व्यक्ति को भी नहीं जानते है। पुलिस द्वारा अभिकथन पर जबरन हस्ताक्षर करा लिया गया। साथ ही पूरक स्पष्टीकरण में इन्होंने अपने समर्थन में यह भी बताया है कि पुलिस ने इस कांड के दलाल तिवारी के कॉल डिटेल की जांच की, जिसमें इनके साथ कोई बातचीत नहीं हुआ है। इन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अभिरक्षा में दिये बयान को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, परन्तु यह सत्य है कि BETET–2011 के परीक्षाफल में गड़बड़ी किया गया और जांच समिति ने गड़बड़ी के साक्ष्य पाए। त्रि–सदस्यीय समिति ने पाया कि शिकायत पत्र में अंकित 16 अभ्यर्थियों के संबंध में आरोप की जांच में पाया गया कि इससे संबंधित कम्प्यूटर सेल में संधारित डाटा में रिजल्ट प्रोसेसर से प्राप्त कराये गये मूल सी0डी0 के डाटा से परिवर्तित पाया गया है। साथ ही इस शिकायत पत्र में अंकित 16 अभ्यर्थियों में 10 अभ्यर्थियों के परीक्षाफल से संबंधित अंक नियोजन पंजी (डी0टी0आर0) का पन्ना बदलकर नया पन्ना तैयार कराकर जिल्दबंद किया हुआ भी पाया गया है।

आरोपी का कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती अभिकथन पर हस्ताक्षर करा लिया भी मान्य नहीं है। इन्हें ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा–164 के अन्तर्गत न्यायालय में अपना बयान दर्ज कराना चाहिए था, परन्तु इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः इस तरह के कम्प्यूटर डाटा बेस में छेड़छाड़ करवाने, परीक्षाफल बदलवाने, धांधली कराने की साजिश में इनकी संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है। इनका आचरण संदेह से परे नहीं है। इस प्रकार आरोपी श्री सुजीत कुमार–1 के विरूद्ध गठित कुल–05 आरोपों में से आरोप सं0–01, 02 एवं 05 प्रमाणित पाये गये तथा आरोप सं0–03 एवं 04 के लिए भी दोषमुक्त नहीं किया गया है।

7. उक्त जांच प्रतिवेदन में श्री कुमार–1 के विरूद्ध गठित कुल–05 आरोपों में से आरोप सं0–01, 02 एवं 05 प्रमाणित पाये गये तथा आरोप सं0–03 एवं 04 के लिए भी दोषमुक्त नहीं पाये जाने के फलस्वरूप जॉच

WEB COPY

प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए समिति के ज्ञापांक–स्था0प्रे0–807, दिनांक 04.07.2023 द्वारा श्री कुमार–1 से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

8. श्री कुमार–1 से दिनांक–19.07.2023 को प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहा गया है कि दिनांक–20.07.2018 से 24.07.2018 तक आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर अतिआवश्यक परिवारिक कार्यवश कार्यालय से अनुपस्थित रहें। जहां तक पत्रांक–एल0पी0–5364, दिनांक–23. 07.2018 के द्वारा आवेदन अस्वीकृत करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी, वह पत्र मुझे हस्तगत नहीं कराया गया है। आकस्मिक अवकाश के संबंध में स्पष्ट करना है कि अचानक आकस्मिक परिस्थिति में किसी भी सरकारी सेवक द्वारा भेजे गये आकस्मिक अवकाश के आवेदन पर स्वीकृति प्राप्त किया जाना व्यवहारिक रूप से असंभव प्रतीत होता है। श्री अमित कुमार द्वारा इनके उपर लगाये गये आरोप से लिखित रूप से इंकार किया गया। इनके स्वीकृति बयान को पुलिस द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अपने ढंग से लेखन कर जबरन हस्ताक्षर कराया गया, जबकि साक्ष्य अधिनियम–1872 के अध्याय–2 पेज–12 के क्रम संख्या–26 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि पुलिस अभिरक्षा में दी गयी बयान की मान्यता नहीं दी गयी है। द्वितीय कारण पृच्छा में 16 अभ्यर्थियों के मामले में इनकी संलिप्तता दर्शाया गया है, जिसके संबंध में त्रि–सदस्यीय समिति के जांच में पाया है कि 16 अभ्यार्थियों का रिजल्ट प्रोसेसर से प्राप्त कराये गये मूल सी0डी0 एवं डाटाबेस से परिवर्तन पाया गया साथ ही 16 में से 10 अभ्यर्थियों का डी0टी0आर0 का पन्ना चेंज कर जिल्दबंद पाया गया है। इस प्रकरण में कांड सं0–452/18 में तथाकथित (दलाल) विजय कुमार तिवारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, दलाल ने अपने बयान में जिन 16 अभ्यर्थियों का नाम लिया है, मूल सी0डी0 एवं डाटाबेस में छेड़छाड़ पाया। इसमें से 10 अभ्यर्थियों का डी0टी0आर0 का पन्ना चेंज कर जिल्दबंद पाया गया है। वह सभी 16 अभ्यर्थियों का तिवारी द्वारा अपने प्रश्नावली में नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, जो त्रि–सदस्यीय कमिटी की जांच से मिलता है तथा उक्त 16 अभ्यर्थियों के मामले में चिन्हित तथा किन–किन कर्मियों की संलिप्तता है, उनके स्वीकृति बयान से स्पष्ट होता है कि जैसे डाटा आदि में सुधार, डी0टी0आर0 पन्ना चेंज कर जिल्दबंद किया गया, उन सभी कर्मियों का नाम तिवारी द्वारा प्रश्नावली चिन्हित किये गये सभी कर्मियों का पुलिस द्वारा कॉल डिटेल्स की जांच की गयी, जो सही पाया गया। जिसमें इनका नाम उल्लेख नहीं है। श्री कुमार–1 द्वारा अपने जवाब में जॉच पदाधिकारी के समक्ष दिए गये बचाव बयान के अतिरिक्त कुछ नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

9. उपर्युक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि इनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर कपटतापूर्वक समिति के अभिलेख के साथ अवैध रूप से छेडछाड करते हुए धोखाधडी से निजी स्वार्थ में समिति को गुमराह किया गया तथा BETET–2011 परीक्षा के परिणाम में कम्प्यूटर सेल में संधारित डाटा में तथा अंक नियोजन पंजी के साथ छेडछाड करने में संलिप्तता पाया गया। इनके द्वारा उक्त जालसाजी कृत्यों से समिति की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है, जो कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कतई स्वीकार योग्य नहीं है। उनका आचरण सरकारी कर्मियों के लिए बनायी गयी आचरण संहिता के सर्वथा प्रतिकूल है। ऐसी स्थिति में श्री कुमार–1 को समिति की सेवा में बनाये रखना समिति के हित में नहीं है।

10. अतः उपर्युक्त वर्णित सभी तथ्यों एवं कागजातों की समीक्षोपरांत सम्यक् विचारोपरांत श्री सुजीत कुमार–1, सहायक (निलंबित) के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत कर आदेशानुसार, श्री कुमार–1 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली–1964 के अध्याय–10 की

WEB COPY

*कंडिका–50 की उप कंडिका–(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से समिति की सेवा से **अनिवार्य सेवानिवृति** (Compulsory Retirement) का दंड दिया जाता है। निलंबन अवधि में श्री कुमार–1 को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।*

8. Thereafter, both the petitioners preferred appeals against the impugned order of punishment before the Chairman, Bihar School Examination Board. However, since the aforesaid appeals were not being decided, the petitioners moved this Court in C.W.J.C. No.6839 of 2024 (petitioner- Michael Francis) and C.W.J.C. No.6940 of 2024 (petitioner – Sujeet Kumar). A coordinate Bench of this Court vide orders dated 28.11.2024 and 12.12.2024 respectively disposed of the said writ petitions with a direction to the respondent authorities to decided the appeals preferred by the petitioners. Thereafter, the aforesaid appeals came to be dismissed by the appellate authority vide impugned orders dated 19.12.2024 and 08.01.2025.

9. Learned Senior counsel for the petitioners, at the outset, submits that the disciplinary proceeding conducted in the case of the present petitioners suffers from grave procedural errors, inasmuch as, despite making an express request for the list of documents based on which the charges have been levelled against the petitioners, no such document was ever provided to the petitioners.

WEB COPY

10. Learned Senior counsel for the petitioners further submits that the memo of charge does not contain the list of witnesses or the list of documents, which is in complete violation of Rule 17(3) of the Bihar CCA Rules, 2005 and the same has caused prejudiced to the petitioners in reasonably defending themselves.

11. Learned Senior Counsel for the petitioners has categorically submitted that the F.I.R. bearing Kotwali P.S. Case No.452 of 2018 was registered on the basis of the preliminary enquiry conducted by a Three Men Committee comprising of the Chief Vigilance Officer, who subsequently, was appointed as the Enquiry Officer in the disciplinary proceedings. It is, therefore, the submission of learned Senior Counsel for the petitioners that since the aforesaid officer had already conducted the preliminary enquiry, he could not have acted in the capacity of Enquiry Officer in the department proceeding as it is well settled that no one should be a Judge in his own cause (*nemo judex in causa sua*). The Enquiry Officer, in the departmental proceeding, has placed considerable reliance on the preliminary report prepared by Three Men Committee constituted by the Board, which is thoroughly misplaced since the aforesaid report itself was prepared by the Chief Vigilance

WEB COPY

Officer himself, who has now stepped into the shoes of Enquiry Officer and was in fact enquiring into his own report.

12. It has been submitted by learned Senior Counsel for the petitioners that the written statement of defense was required to be considered by the disciplinary authority before initiating the departmental proceeding but, in the present case, no such written statement/defence of the petitioner was sought by the disciplinary authority and it is the Enquiry Officer, who for the first time, directed the petitioner to submit his defence, which is in violation of Rule-17(4) of the Bihar CCA Rules, 2005.

13. Lastly, it has been submitted by learned Senior Counsel for the petitioners that the Enquiry Officer has placed heavy reliance on the confessional statement of accused-Vijay Kumar Tiwari @ Tiwari and his statement was recorded in the form of questionnaire while he was in police custody, but the petitioners have not been afforded an opportunity to cross-examine the aforesaid witness during the departmental proceeding. Further, call records between the petitioners and the accused of Kotwali P.S. Case No.452 of 2018 forms a central basis for arriving at a finding of guilt in the departmental proceeding, however, the call records have neither been

WEB COPY

produced much less proved in the departmental proceeding.

14. By making the aforesaid submissions, it has been argued by the learned Senior Counsel for the petitioners that the disciplinary proceedings leading to dismissal and voluntary retirement of the petitioners respectively suffers from grave procedural lapses and deserves to be quashed.

15. *Per contra,* it has been submitted by learned counsel for the Bihar School Examination Board that no prejudice was caused to the petitioners in the enquiry proceeding as they were afforded sufficient opportunity to defend their cases in line with the principles of natural justice and only thereafter, the punishment has been imposed upon the petitioners.

16. In the counter affidavits filed by the answering respondents, the facts leading to initiation of departmental proceeding and punishment of the petitioners have been mentioned. Apart from the aforesaid facts, it has been stated that initially the petitioners were issued show-cause notices for their unauthorized absence from their duties, to which the petitioner did not respondent. Thereafter, it was detected that a fraud was committed upon the Board and by adopting fraudulent means changes were made in the tabulation

WEB COPY

register and computer data containing the result of BETET, 2011 and accordingly, the F.I.R. was instituted against some accused person including the employees of the Board. In course of the investigation of F.I.R., some persons were arrested, who disclosed the names of the petitioners to be involved in the fraudulent changes in the result of BETET, 2011. Thereafter in contemplation of the disciplinary proceeding, the petitioners were suspended and memo of charge was served to them. After following due process of law, the punishment has been awarded to the petitioners considering the gravity of the charges.

17. It has also been stated in the counter affidavit that the impugned orders have been passed strictly in accordance with the statutory Regulations of the Bihar School Examination Board. The Board, being an autonomous body, is constituted under the Bihar School Examination Board Act, 1952. Section 17 of the aforesaid Act deals with the power of the Board to make Regulation consistent with the Act and accordingly, Regulations had been framed by the Board i.e. the Bihar School Examination Board Regulation, 1964. Further, chapter X of the aforesaid Regulation deals with service statutes for its employees wherein under Regulation 28 provides that save as otherwise provided in the Regulation the provisions of

WEB COPY

Bihar Service Code and Government Servant Conduct Rules, *mutatis mutandis* will apply to the employees of the Board.

18. So far as the contention of the petitioners that the memo of charge was defective in absence of list of witnesses is concerned, it has been submitted that the disciplinary proceeding against the petitioner was conducted in terms of Regulation of the Board and the petitioner was served with a detailed charge sheet and they have been given ample opportunity to defend their cases in the inquiry.

19. I have considered the submissions of the parties and perused the materials on record.

20. From the records, it appears that a departmental proceeding was initiated against the petitioners primarily on the allegation that they were unauthorizedly absent from their duties and for their involvement/role in tempering with the results of the BETET, 2011, for which a criminal case bearing Kotwali P.S. Case No.452 of 2018 was also registered.

21. From the perusal of the memo of charge and enquiry report, it appears that the accused persons in the aforesaid F.I.R. in their statements have taken the name of these petitioners to be specifically involved in tampering with the result. Further, the Enquiry Officer has also placed reliance on

WEB COPY

the call records of the accused persons, however, the same has neither been produced nor proved in the departmental proceeding. Moreover, the memo of charge issued to the petitioners does not contain the list of witnesses and the petitioners were not afforded an opportunity to cross-examine the witnesses who had been questioned by way of a questionnaire in the police custody.

22. The Bihar CCA Rules, 2005 provides for mandatory statutory safeguards, such as, providing list of witness and documents in support of the charges while framing a memo of charge. Further, in the departmental proceeding, the delinquent may cross-examine the witness(s).

23. The Chapter – X of the Bihar School Examination Board Regulations, 1964 deals with service Statute. Regulation 54 provides for framing of memorandum of charges and holding of oral enquiry. A coordinate Bench of this Court in the case of ***Jagdish Sah vs. State of Bihar & Ors.*** reported as ***2011 SCC OnLine Pat 1148*** had the occasion to consider the aforesaid Regulations of the Board in a similar circumstances where mandatory procedures were not followed. The coordinate Bench had categorically held that even under the Regulations of the Board, the memo of charge must be

WEB COPY

accompanied with the list of documents and list of witnesses.

24. The relevant paragraphs of the aforesaid judgment in the case of ***Jagdish Sah (supra)*** read as under:-

"12. It may be appropriate at this stage to consider Regulations 53 and 54(a) & (b), which are quoted below:-

*"**53. Procedure for punishment.**— When an employee is charged with an offence, every opportunity should be given to defend himself and following procedure should be strictly observed*

(a) A memo of charges should be issued against him;

(b) A written statement of the defence if any offered should be obtained from him;

(c) An oral enquiry should be held, in respect of cases involving the penalty of reduction, removal or dismissal from service, and

(d) An order should be passed embodying the findings of the punishing authority.

***54.** Framing of **Memorandum of charges : holding of oral enquiry and drafting of punishment order.**—*

(a) The following instructions should be observed in framing a memorandum of charges—

(1) The grounds on which it is proposed to take action

WEB COPY

against an employee should be reduced to the form of definite charge or charges.

(2) A statement of the allegations on which each charge is based and of any other circumstances which it is proposed to take into consideration in passing orders on the case, should invariably be recorded in the memorandum. In no circumstances, however, should an opinion or anything that can be constructed as an opinion as to the guilt of the employee appear in the memorandum.

(3) The employee should be required, within a reasonable time to be specified in the memorandum, to put in a written statement of his defence. He should also be required to state whether he desires to be heard in person, in respect of cases involving the punishment of reduction, removal or

WEB COPY

dismissal from service.

(b) The circumstances in which an oral enquiry has to be held and the manner in which it should be conducted, are detailed below:—

(1) If the employee who has been charged with an offence involving the punishment of reduction, removal or dismissal from service, desires to be heard in person, an oral enquiry must be held. It is also open to the punishing authority to direct that an oral enquiry should be held, even if the employee does not ask for it.

(2) At the oral enquiry it is incumbent on the authority concerned to have oral evidence as to such of the allegations as are not admitted and to give the employee charged an opportunity (a) to cross-examine the witnesses, (b) to give evidence in person, and (c) to have such witnesses called as he may wish provided that the officer conducting the

WEB COPY

enquiry may, for special and sufficient reason to be recorded in writing refuse to call a witness.

(3) The proceeding of the oral enquiry should be reduced to writing and be signed by the enquiring officer and the employee charged."

13. ***It is evident from the aforesaid statutory regulations that issuance of memo of charge is a mandatory requirement therein and the requirement of submitting list of witnesses and list of documents on which the employer proposes to rely in proving the said charge follow as a matter of course. It is also provided that an oral enquiry should be held where the punishment of reduction, removal or dismissal from service are involved***.

14. *The submission of learned counsel for the respondent Board that the petitioner had waived the requirement by not stating in his written statement of defence or thereafter that he desires to be heard in person has no legs to stand in view of the mandatory nature of the provisions regarding holding of oral enquiry. It is not for the proceedee to suo motu state as to whether he wishes to be heard in person but for the disciplinary authority to ensure that he is required to state whether he desires to be heard in person where a major punishment is to be given to him. There is nothing in the material on*

WEB COPY

the record to show that the petitioner was ever required to state whether he desires to be heard in person. In fact, it has been kept open to the punishing authority to direct that oral enquiry should be held even if the employee does not ask for it. Thus it is evident from the said provisions that the requirement of oral enquiry in case of major punishment is to be treated as mandatory unless the employee on being given an opportunity specifically states that he does not desire to be heard in person. There is nothing on the record to show that the petitioner at any time has stated that he did not desire to be heard in person. In the said circumstances, there can be no question of any waiver by the petitioner of a right which he was at no time asked to exercise in terms of the statutory provisions.

15. ***Moreover, this Court is of the view that it cannot be held in the present case that any departmental enquiry for major punishment has been held. It is only in the case of minor punishment that a show cause may be asked from an employee and upon receipt of his reply the disciplinary authority may pass an order inflicting punishment on not being satisfied with the same but when a major punishment is to be inflicted it is incumbent upon the enquiry officer to fix a date directing the petitioner to appear before him and even if the employer does not intend to examine any witness and to rely only upon documents, the petitioner must be given an opportunity to show that those***

WEB COPY

documents did not point towards his guilt and cannot be relied upon in support of the charge. In the present matter, no such notice was issued to the petitioner to appear before the enquiry officer and everything has been done behind the back of the petitioner depriving him of the opportunity to examine and assail the documents which have been relied upon by the enquiry officer and also the opportunity to produce his own witnesses or to give evidence in person. Thus, the enquiry proceedings have to be held to be vitiated and not to be relied upon for passing any order of punishment.

16. ***Lastly, there is substantial force in the submission of learned counsel for the petitioner that the documents which were not mentioned in the charge memo cannot be relied upon for holding the charges to be proved. It is evident that in the present matter the petitioner was not made aware of the documents on which the respondent-Board intended to rely upon for proving the charges as no list of documents was supplied to the petitioner either with the charge memo or at any subsequent stage. In this regard, it makes no difference that the petitioner had perused certain documents. Thus the findings of the enquiry officer has to be held to be based on no evidence. The petitioner having been unaware of the documents, in the light of the decision of the Apex Court in the case of Kuldeep Singh (supra), all those documents have to be***

WEB COPY

excluded from consideration and they cannot be relied upon or even referred to by the disciplinary authority.”

25. Therefore, it is patently clear that both under the Bihar CCA Rules, 2005 as well as under the Regulations of 1964, it is mandatory that the memo of charge must accompany the list of documents as well as list of witnesses in support of the charges. It is also clear that the opportunity to the delinquent to cross-examine the witnesses is necessary to uphold the fairness and non-arbitrariness in the departmental proceedings. However, in the present case, neither the memo of charge contains the list of witness/documents nor the petitioners were given an opportunity to cross-examine the witness(s), who had deposed against them. Moreover, the call records which was relied heavily in the enquiry report is neither produced nor proved in the departmental proceedings. Therefore, this Court is of the considered opinion that on the aforesaid grounds the disciplinary proceeding stands vitiated.

26. The Hon'ble Supreme Court in the case of ***State of Uttar Pradesh vs. Ram Prakash Singh,*** reported in ***2025 SCC OnLine SC 891*** has held once a departmental proceeding is found to be vitiated on procedural grounds and the Court sets aside an order of punishment then the correct course

WEB COPY

would be to remit back the matter for fresh consideration.

27. For the foregoing reasons, the impugned orders of punishment contained in memo nos. 66 and 67 dated 16.01.2024 as well as the appellate orders dated 19.12.2024 and 08.01.2025 are quashed in both the cases. The matter is remanded back to the respondent-Board for fresh consideration of the matter from the stage of issuance of memo of charge.

28. With the aforesaid observations and directions, these writ petitions are allowed to the above extent.

(Sandeep Kumar, J)

pawan/-

AFR/NAFR	N.A.F.R.
CAV DATE	13.10.2025
Uploading Date	09.01.2026
Transmission Date	

WEB COPY